राजस्थान–सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(2)( )/नंद घर/मो./आईसीडीएस/2015/15364-396 जयपुर, दिनांकः 10-10-17

जिला कलेक्टर
समस्त।

विषयः– "नन्द घर योजना" के तहत आंगनबाडी केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु दानदाताओं की सामुदायिक सहभागिता बढाने के संबंध में।
प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 61051–84 दिनांक 13.05.16

राज्य में समेकित बाल विकास सेवाएँ के अन्तर्गत वर्तमान में 62020 आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत है। जिनमें से लगभग 61000 आंगनबाडी केन्द्र संचालित है। संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दानदाताओं के सामुदायिक सहयोग की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए "नन्द घर योजना" संचालित की गयी थी। जिसके तहत प्राईवेट दानदाता, सामाजिक ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन एवं कॉरपोरेट (CSR) के तहत पांच या पांच से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों को तीन या पांच वर्षो तक गोद लेकर आवश्यक धन राशि खर्च करने की व्यवस्था कर सकते है।

दानदाता/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट (CSR) के द्वारा गोद लिये गये आंगनबाडी केन्द्रों के संबंध में विभाग के साथ नन्द–घर योजना के अन्तर्गत एक एम.ओ.यू. किया जायेगा। जिसके तहत दानदाता/स्वयं सेवी संस्था/कॉरपोरेट के द्वारा निम्न दिये गये चार मॉडल में से किसी एक या एक से अधिक पर कार्य किये जा सकेंगे :–

1. ऑगनबाडी के लिए आवश्यक मापदण्ड के अनुसार भूमि उपलब्ध कराना।
2. ऑगनबाडी के लिए भूमि उपलब्ध कराते हुए उस पर भवन निर्माण मय चार दीवारी कराना जिसका शत–प्रतिशत व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था/कॉरपोरेट द्वारा किया जायेगा।
3. विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर दानदाता/स्वयंसेवी संस्था/कॉरपोरेट द्वारा ऑगनबाडी मय चार–दीवारी का निर्माण कराना जिसके अन्तर्गत आंगनबाडी से संबंधित भवन की मरम्मत, नये भवन का निर्माण, किचन से संबंधित सुविधाएं, टॉयलेट का निर्माण, भवन के आसपास किचन गार्डन व खेल के मैदान का विकास तथा बाउन्ड्री निर्माण इत्यादि। जिसका शत–प्रतिशत व्यय दानदाता/स्वयंसेवी संस्था/कॉरपोरेट द्वारा किया जायेगा।
4. ऑगनबाडी का रख रखाव व आंगनबाडी को आदर्श आंगनबाडी के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त कार्य जैसे सोलर सिस्टम, वेईंग स्केल, ऑफ लाईन वॉटर प्यूरीफायर इत्यादि।

विभाग द्वारा "नन्द घर योजना" को सफल बनाने हेतु समय–समय पर प्राईवेट दानदाता, सामाजिक ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन एवं कॉरपोरेट (CSR) को प्रोत्साहित करने के लिये जिला स्तर पर आयोजित समारोह में सम्मानित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिससे समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा दी जा रही सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना सम्भव हुआ है।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में प्राईवेट दानदाता, सामाजिक ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन एवं कॉरपोरेट (CSR) द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों को "नन्द घर योजना" में पांच या पांच से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों को गोद लेने के सम्बन्ध में विभाग के साथ 5 वर्ष के लिए एक एम.ओ.यू करते हुए आंगनबाडी भवन निर्माण एवं अन्य सामग्री–सोलर सिस्टम, वेईंग मशीन, ऑफ लाइन वाटर प्यूरीफायर आदि के सम्बन्ध में प्रोत्साहित करने की कार्यवाही करावे। ताकि आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चों को समेकित बाल विकास विभाग द्वारा दी जा रही सेवाएं बेहतर रूप से दी जा सकें।

(रोली सिंह)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.11(2)( )/नंद घर/मो./आईसीडीएस/2015/15397-736 जयपुर, दिनांकः 10-10-17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, मबावि, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर अधिक से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों को नन्द घर योजना में गोद लेने हेतु आंगनबाडी केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
6. DCP, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शुचि शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Scanned by CamScanner